12/11/22 पत्रावली आज दिनांक 12/11/22 को राष्ट्रीय लोक अदालत
उदयपुरवाटी के समक्ष रखी गयी। पक्षकार वादी व वादी सह
के अधिवक्ता का हस्तक्षेप एवं कथन किये गये। राष्ट्रीय
लोक अदालत की भावना के अनुरूप मामला उभय पक्षों में खारिज
करवाना चाहते हैं अतः [illegible] खारिज
किया जाता है पत्रावली [illegible] खारिज
हो व अंकित अभिलेख हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:38:05 IST
Reason: SelfAttested

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
उदयपुरवाटी

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
उदयपुरवाटी

12/11/22

Neelima Panwar
12-11-2022

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
उदयपुरवाटी